राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

FINAL REPORT 92-C

आरोप पत्र

NIA CRIME No.04/2011/NIA/DLI

(अजमेर दरगाह शरीफ बम ब्लास्ट)

(AJMER DARGAH SHARIF BOMB BLAST CASE)

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

FINAL REPORT
आरोप पत्र

(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रकिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF श्रीमान स्पेशल जज एन0 आई0 ए0, जयपुर, राजस्थान

सरकार

बनाम

देवेंन्द्र गुप्ता व अन्य

1. District (जिला) अजमेर P.S. (थाना) दरगाह अजमेर Year (वर्ष) 2007

   FIR No. (प्र.सू.रि.सं.) 85/07 Date (दिनाँक) 11-10-2007

   FIR No. (प्र.सू.रि.सं.) 04/2011 Date (दिनाँक) 06-04-2011

   Police Station N.I.A New Delhi. (थाना) एन0आई0ए,नई दिल्ली।

2. Final Report/Charge Sheet No.92-C (अंतिम रिपोर्ट/ आरोप पत्र संख्या–92-सी) (Supplementary Charge sheet No. 03)

3. Date (दिनाँक) – 29-10-2013

4. Section (धाराऐं) धारा 120बी r/w 302, 307, 295–A भा0द0स0, धारा 3, 4 और 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व धारा 13,16,18,20 एवं 23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (as amended in 2008).

5. अंतिम फार्म का प्रकार : – आरोप पत्र दाखिल किया गया

6. यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित:–झूंठ/तथ्यों की त्रुटि/कानूनी त्रुटि/असंज्ञेय दीवानी-नहीं

7. यदि आरोप पत्र दाखिल किया गया : – अनुपूरक

8. अनुसंधान अधिकारी का नाम :– विशाल गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एन0आई0ए,नई दिल्ली।

9. (A) नाम पता मुस्तगीस :– सैयद सरवर चिश्ती

(B) पिता का नाम :– सैयद गुलाम दस्तगीर चिश्ती उम्र 47 साल निवासी वकार मंजिल छोटा चौक खादिम मोहल्ला अजमेर, थाना दरगाह अजमेर।

10. जॉच के दौरान बरामद/जप्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हे आधार बनाया गया हो

Annexed as Annexure - I, II

11. आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तो का विवरण :–

पूर्व में दाखिल आरोप पत्र संख्या 92, 92-ए, 92-बी के क्रम में।

Sl.No. क्रम संख्या – 1.

I. Name (नाम) – भावेश अरविन्द भाई पटेल

II. Father's Name (पिता/पति का नाम) – अरविन्द भाई पटेल

III. Date/ Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष) – 15.07.1981

IV. Sex (लिंग) - पुरूष

V. Nationality (राष्ट्रीयता) – भारतीय

VI. Passport No.(पासपोर्ट संख्या) - नहीं

Date of issue (जारी करने की तिथि) -

Place of issue (जारी करने का स्थान) –

VII. Religion - (धर्म) - हिन्दू

VIII. Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग) - नहीं

IX. Occupation (व्यवसाय) – –

X. Address(पता) – बी / 4 हाथीखाना बाजार, भरूच, गुजरात

XI. Whether verified (क्या सत्यापित है) – हॉं।

XII. Provisional Criminal No.-(अन्तिम अपराधी संख्या) -

XIII. Regular Criminal No.-(नियमित अपराधी संख्या यदि ज्ञात हो) -

XIV. Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि)–05.03.2013, समय 1.30 बजे (पी.एम).

XV. Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि) - न्यायिक हिरासत में है

XVI Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ) – धारा 120-बी r/w 302, 307,295–A, भा0द0स0, धारा 3,4,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व धारा 13,16,18,20,23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 / 2008.

Sl.No. क्रम संख्या – 2.

(I) Name (नाम) – मफत भाई मनीलाल गोहिल उर्फ मेहुल

(II) Father's Name (पिता / पति का नाम) – स्व: मनीलाल गोहिल

(III) Date/ Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) – 18.08.1982

(IV) Sex (लिंग) - पुरूष

(V) Nationality (राष्ट्रीयता) – भारतीय

(VI) Passport No. (पासपोर्ट संख्या) - -

Date of issue(जारी करने की तिथि) -

Place of issue (जारी करने का स्थान) -

(VII) Religion-(धर्म) - हिन्दू

(VIII) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछडे वर्ग) – नहीं

(IX) Occupation (व्यवसाय) –

(X) Address(पता) –

नगर, वडोदरा, गुजरात।

(XI) Whether verified (क्या सत्यापित है) – हाँ

(XII) Provisional Criminal No.-(अन्तिम अपराधी संख्या) -

(XIII) Regular Criminal No.-(नियमित अपराधी संख्या यदि ज्ञात हो) -

(XIV) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि) - 07.03.2013 समय 2.30 बजे(पी.एम.)

(XV) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि) - न्यायिक हिरासत में हैं।

(XVI) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ) – धारा 120-B r/w 302, 307, 295–A, भा0द0स0, धारा 3,4,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व धारा 13,16,18,20,23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 / 2008.

12. आरोप पत्र न दाखिल किये गये अभियुक्तो का विवरण –

Sl.No. क्रम संख्या – 1

(i) Name (नाम) – रमेश गोहिल उर्फ टिंकु उर्फ धनश्याम उर्फ मोहन

(ii) Father,s Name(पिता / पति का नाम) – जयंती भाई गोहिल

(iii) Date/ Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) – 14.09.1980

(iv) Sex (लिंग) – पुरूष

(v) Nationality (राष्ट्रीयता) - भारतीय

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या) - -

Date of issue (जारी करने की तिथि) -

Place of issue(जारी करने का स्थान) -

(vii) Religion - (धर्म) – हिन्दू

(viii) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछडे वर्ग) -नही

(ix) Occupation (व्यवसाय) –

(x) Address (पता)– गाजरावाडी, पदम तालाब, सीवेज पम्पींग स्टेशन, सांईबाबा नगर, वडौदरा, गुजरात।

(xi) Whether verified. (क्या सत्यापित है) – हॉ

(xii) Provisional Criminal No.-(अन्तिम अपराधी संख्या) -

(xiii) Regular Criminal No.- (नियमित अपराधी संख्या यदि ज्ञात हो) -

(XIV) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि) – 04.05.2013 समय 07.30 बजे (पी.एम.) न्यायिक हिरासत में है।

(XV) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि) - न्यायिक हिरासत में हैं।

(XVI) Under acts and sections अधिनियम एवं धाराऐ – धारा 120बी r/w 302,307,295A,भा0द0स0, धारा 3,4,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व धारा 13,16,18,20,23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधीनियम 1967 / 2008

(XVII) Any special remarks including reasons for not charge sheeting आरोप पत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष टिप्पणी – वर्तमान में सह–अभियुक्त सुरेश नायर, अमित उर्फ सन्नी, रामचन्द्र कलसांगरा एवं संदीप डांगे फरार हैं। भविष्य में उपरोक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त पूछताछ व साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा ।

Sl.No. क्रम संख्या – 2

(i) Name (नाम) – रमेश वेंकटराव महालकर उर्फ अमित उर्फ प्रिंस उर्फ हकला उर्फ सन्नी।

(ii) Father's Name (पिता / पति का नाम) – हनुमंत वेंकटराव महालकर

(iii) Date/ Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) – 27.11.1971

(iv) Sex (लिंग) – पुरूष

(v) Nationality (राष्ट्रीयता) - भारतीय

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या) - -

Date of issue(जारी करने की तिथि)-

Place of issue(जारी करने का स्थान)-

(vii) Religion-(धर्म) – हिन्दू

(viii) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछडे वर्ग) -नहीं

(ix) Occupation (व्यवसाय) –

(x) Address(पता) – [illegible]
स्कूल, नांदेड ,महाराष्ट्र।

(xi) Whether verified (क्या सत्यापित है) – हॉ ।

(xii) Provisional Criminal No.-(अन्तिम अपराधी संख्या) -

(xiii) Regular Criminal No.-(नियमित अपराधी संख्या यदि ज्ञात हो) -

(xiv) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि) –Absconding/ फरार

(xv) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि) -
- Absconding/ फरार

(xvi) Under acts and sections अधिनियम एवं धाराऐ- धारा 120-बी r/w 302, 307, 295-A, भा0द0स0, धारा 3,4,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व धारा 13,16,18,20,23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967 / 2008.

(xvii) Any special remarks ~~in~~cluding reasons for not charge sheeting आरोप पत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष टिप्पणी – तलाश जारी होकर गिरफ्तारी शेष है।

<u>तितम्बा आरोप पत्र संख्या 92 - सी दिनांक 29.10.2013</u>
<u>(Supplementary Charge sheet No. 3)</u>

महोदय,

यह तितम्बा आरोप पत्र सं0 92-सी, (Supplementry Charge Sheet No. 03), 02 मुलजिमान भावेश अरविंन्द भाई पटेल एवं मफत उर्फ मेहूल के खिलाफ पेश किया जा रहा है।

1. वाकयात मुकदमा हाजा इस प्रकार है कि रमजान शरीफ के महीने मे 11 अक्टूबर 2007 को सांय करीब 6.15 बजे पर दरगाह शरीफ अजमेर में एक बम विस्फोट हुआ जिसमे 03

व्यक्तियों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हुए। एक जिन्दा बम जो विस्फोट नही हो सका, भी बरामद हुआ जिसको बाद में निषक्रिय कर दिया गया।

2. यह आतंकवादी बम विस्फोट की घटना को पुलिस स्टेशन, दरगाह शरीफ अजमेर में एफ0आई0आर संख्या 85/07 दिनांक 11.10.2007 को धारा 302,307,323,295 भा0द0स0 एवं धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में अनजान व्यक्तियों के खिलाफ दाखिल किया ।

3. इस संदर्भ में प्रारम्भिक अनुसंधान पुलिस स्टेशन दरगाह शरीफ, अजमेर द्वारा किया गया इसके उपरान्त जाँच आतंकवादी निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) राजस्थान को दिनांक 08.05.2009 को सौंपी गई। ए0टी0एस0 राजस्थान ने उपरोक्त बम विस्फोट के सिलसिले में तहकीकात कर अभियुक्तों को और इस घटना से संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित किया।

4. इस संदर्भ में (ए0टी0एस0) राजस्थान ने अंतिम रिर्पोट संख्या0 92 धारा 302,307,323,295-ए,201,120–बी भा0द0स0 एवं धारा 13,16,18,20 विधि विरूद्व किया कलाप निवारण अधिनियम 1967/2008 और धारा 3,4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत तीन अभियुक्तों देवेंद्र गुप्ता,चन्द्रशेखर लेवे एवं लोकेश शर्मा के खिलाफ दायर की ।

5. भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के आदेश संख्या आई/11034/18/2011–आई0एस0–4 तारीख 01.04.2011 के उपरान्त उपरोक्त मुकदमें को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नई दिल्ली ने प्रथम सूचना रिर्पोट दुबारा दाखिल कर आर0सी0 04/2011/एन0आई0ए0 नई दिल्ली में दर्ज किया एवं अग्रिम अनुसंधान शुरू किया।

6. अग्रिम अनुसंधान के दौरान एन0आई0ए0 द्वारा तितम्बा आरोप पत्र संख्या 92-ए, जिसमें दो अभियुक्तों हर्षद सोलंकी एवं मुकेश वासानी के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय एन0आई0ए0 जयपुर को पेश किया इसी संदर्भ में आगे की तहकीकात करते हुए तितम्बा आरोप पत्र संख्या 92-बी जो आठ अभियुक्तों असीमानंन्द, भरतभाई, संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा, सुनील जोशी (मृतक), भावेश पटेल, सुरेश नायर एवं मफत एवं

मेहुल के खिलाफ 18.07.2011 को माननीय विशिष्ट न्यायालय एन0आई0ए0 जयपुर को पेश किया गया।

7. तितम्बा आरोप पत्र 92-बी को दाखिल करते समय अभियुक्त संदीप डांगे, रामचंन्द्र कलसांगरा, भावेश पटेल, सुरेश नायर, मफत उर्फ मेहूल, रमेश उर्फ मोहन एवं अमित उर्फ सन्नी फरार थे और इनको गिरफ्तार करना शेष था।

8. इस संदर्भ में माननीय विशिष्ट न्यायालय एन0आई0ए0 जयपुर द्वारा अभियुक्त संदीप डांगे, रामचन्द्र कलसांगरा, भावेश पटेल, सुरेश नायर, मफत उर्फ मेहूल के खिलाफ गिरफ्तार करने हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी किये गए थे ।

9. यह है कि उपरोक्त अभियुक्त भावेश अरविंन्द भाई पटेल एवं मफत उर्फ मेहूल के खिलाफ भी तितम्बा आरोप पत्र सं0 92-बी, 18.07.2011 को पेश किया जा चुका है चुँकि उस समय दोनों मुलजिम फरार थे और उनकी गिरफ्तारी शेष थी, दौराने अग्रिम अनुसंधान, विभाग के अथक प्रयासों के उपरांत अभियुक्त भावेश पटेल को दिनांक 05.03.2013 तथा अभियुक्त मफत उर्फ मेहूल को दिनांक 07.03.2013 को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकिया में एक अन्य अभियुक्त रमेश गोहिल उर्फ मोहन को दिनांक 04.05.2013 को गिरफ्तार किया गया। जिसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना शेष है ।

10. अभियुक्त संदीप डांगे, रामचन्द्र कलसांगरा, सुरेश नायर एवं रमेश वेंकटराव महालकर उर्फ अमित उर्फ सन्नी वर्तमान में फरार हैं तथा इनकी गिरफ्तारी अभी शेष है इस संबध में विभाग द्वारा प्रयास जारी हैं ।

11. अग्रिम अनुसंधान के दौरान आरोप पत्र संख्या 92–बी तारीख 18.07.2011 के बाद से जो साक्ष्य उजागर हुए हैं उनकी सूची पत्रावली में संलग्न है। अग्रिम अनुसंधान के दौरान यह साबित होता है कि अभियुक्त भावेश पटेल एवं मफत उर्फ मेहुल, अजमेर दरगाह बम विस्फोट षड़यंत्र में शामिल थे। तथा जिस आतंकवादी गिरोह ने अजमेर दरगाह में बम रखे, वे उसके प्रमुख एवं सकिय सदस्य थे।

12. आगे पूछताछ एवं अनुसंधान के दौरान अभियुक्त भावेश पटेल ने अजमेर दरगाह बम–विस्फोट प्रकरण में स्वयं की भागीदारी का खुलासा करते हुए अपना जुर्म स्वीकार किया एवं धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इतला दी एवं बताया की वह उन सभी स्थानों को स्वयं चलकर बता सकता है जहां से प्रकरण में इस्तेमाल के लिए दो बम लिए व दिए गए तथा इन बमों को दरगाह शरीफ अजमेर में विस्फोट के लिए रखा गया था। अतः अभियुक्त को स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान गोधरा एवं दरगाह शरीफ अजमेर (राजस्थान) ले जाकर फर्द मौका तस्दीक की गई जो शामिल पत्रावली है ।

13. अग्रिम अनुसंधान में पता चला कि वर्ष 2007 के दौरान अभियुक्त भावेश पटेल, नर्मदा कम्युनिकेशन, भरूच, गुजरात में काम करता था। इस दौरान कम्पनी की तरफ से भावेश पटेल को फोन न0. जारी किया गया था यह फोन भावेश पटेल द्वारा उपरोक्त कम्पनी के कार्य हेतु इस्तेमाल किया जा रहा था । उपरोक्त फोन न0 की काल डिटेल दिनांक — - का विश्लेषण किया गया जिससे पता चलता है कि अभियुक्त भावेश पटेल दिनांक 10.10.2007 को (अजमेर दरगाह बम विस्फोट से एक दिन पूर्व), भरूच से गोधरा आया और अपने साथीयों सुनील जोशी, सुरेश नायर, मुकेश वासानी, मेहुल एवं अमित उर्फ सन्नी से मिला। तथा इस दौरान वह सुनील जोशी से लगातार उसके फोन न0. से संम्पर्क मे रहा। भावेश अपने साथीयों और विस्फोटको से भरे दो बैग के साथ बडौदा पहुँचा और आगे अजमेर के लिए रवाना होने से पूर्व आखरीबार सुनील जोशी से बात की तथा इसके पश्चात अभियुक्त भावेश पटेल ने अपना फोन बन्द कर लिया और दुबारा दिनांक 12.10.2007 को अजमेर बम विस्फोट से अगले दिन, गांधीनगर (गुजरात) पहुंचकर ही चालु किया जिससे पता चलता है कि अभियुक्त भावेश पटेल ने बडी चतुराई के साथ अपनी मौजुदगी अजमेर में छिपाने के लिए ही अपना फोन बन्द कर दिया था ।

14. अभियुक्त भावेश पटेल ने न्यायियक अभिरक्षा के दौरान स्वेच्छा से अजमेर दरगाह विस्फोट प्रकरण में संस्वीकृती कथन कराने की ईच्छा जाहिर की और दिनांक

23.03.2013 को अभियुक्त भावेश पटेल ने स्वेच्छा से धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत माननीय न्यायालय (ए0सी0जे0एम0), __ विधिवत अपना कथन दर्ज करवाया।

15. अग्रिम अनुसंधान के दौरान दिनांक 07.03.2013 को अभियुक्त मफत उर्फ मेहुल को गिरफ्तार किया गया । पूछताछ एवं अनुसंधान के दौरान अभियुक्त मफत उर्फ मेहुल ने अजमेर दरगाह बम–विस्फोट प्रकरण में स्वयं की भागीदारी का खुलासा करते हुए अपना जुर्म स्वीकार किया एवं धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी एवं बताया कि वह उन सभी स्थानों को स्वयं चलकर बता सकता है जहां से प्रकरण में इस्तेमाल के लिए बम लिए व दिए गए तथा इन बमों को दरगाह शरीफ अजमेर में विस्फोट के लिए रखा गया था। अतः अभियुक्त को स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान देवास (मध्यप्रदेश), गोधरा (गुजरात) एवं दरगाह शरीफ अजमेर (राजस्थान) ले जाकर फर्द मौका तस्दीक की गई जो शामिल पत्रावली है। अग्रिम अनुसंधान के दौरान स्थापित हुआ कि दिनांक 09.10.2007 को दो विस्फोटकों से भरे बैग चूना खदान आश्रम से लेकर सुनिल जोशी, मेहुल एवं सन्नी सैन्ट्रौ कार से, अभियुक्त मुकेश वसानी के निवास स्थान (गोधरा, गुजरात) के लिए रवाना हुए। दिनांक 10.10.2007 को सह-अभियुक्त भावेश पटेल, सुरेश नायर, मुकेश वसानी व अमित उर्फ सन्नी के साथ गोधरा से बड़ौदा एवं ब बड़ौदा से अजमेर आये।

16. अभियुक्त मफत उर्फ मेहुल ने धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इतला/सूचना स्वतंत्र गवाहों के समक्ष दी कि अभियुक्तों ने किस प्रकार चतुराई एवं योजनाबद्ध तरीके से दरगाह शरीफ अजमेर में 11.10.2007 को विस्फोटको से भरे दो बैग रखे थे। इन सभी स्थानों की मौका तस्दीक कराई गई एवं स्वतंत्र गवाहों के समक्ष फर्द तैयार की गई जो शामिल पत्रावली है।

17. अभियुक्त मफत उर्फ मेहुल एवं अभियुक्त भावेश पटेल ने बताया कि सुनील जोशी उर्फ गुरूजी व असीमानन्द ने मुस्लिम आंतकवादियों को मुँहतोड जवाब देने एवं बम का जवाब बम से देने का निर्णय लिया जिसको योजनाबद्ध तरीके से उपरोक्त अभियुक्तों ने अंजाम दिया। अग्रिम अनुसंधान के दौरान अभियुक्त मफत उर्फ मेहुल, हर्षद

उर्फ राज एवं रमेश उर्फ मोहन का बेस्ट बेकरी घटना 2002 (बडौदा, गुजरात) में लिप्त होना और फरार होना भी पाया गया जो उनका पूर्व आपराधिक रिर्काड एवं कटट्रपंथी विचारधारा को स्थापित करता है।

18. अग्रिम अनुसंधान के दौरान साक्ष्य एकत्रित किये गए जिससे यह स्थापित होता है कि जून 2006 के आस–पास एक महत्वपूर्ण मीटिंग असीमानंद के नेतृत्व में भरत भाई के घर वलसाड, (गुजरात) में हुई। जिसमें उपरोक्त अभियुक्तों के साथ सुनील जोशी, संदीप डांगे आदि लोग भी सम्मिलित हुए। यह वही मीटिंग थी जिसमें अजमेर दरगाह में बम विस्फोट करने का निर्णय लिया एवं योजना बनाई थी।

19. अनुसंधान के दौरान यह भी स्थापित होता है कि असीमानंद ने सुनील जोशी की हत्या होने के तुरंत बाद (दिसम्बर 2007) में शबरी आश्रम, डांग, गुजरात में यह बताया था कि सुनील जोशी ने ही अजमेर दरगाह में बम्ब विस्फोट कराये थे।

20. इस आतंकवादी गिरोह द्वारा उज्जैन, इंदौर, देवास, शबरीधाम एवं मिहीजाम आदि में कई बैठकें आयोजित कर एक अपराधिक षड्यन्त्र को जन्म दिया और एक सोची समझी रणनीति के तहत दरगाह शरीफ अजमेर में बम विस्फोट करने तथा उसके लिये आवश्यक संसाधन तथा विस्फोटक पदार्थ, टाइमर डिवाइस एवं अन्य उपकरण आदि एकत्रित करने का काम किया। सुनील जोशी ने इस बम विस्फोट को मूर्त रूप देने के लिए अपने अन्य साथियों के मध्य कार्य विभाजन करते हुये उन्हें अलग–अलग जिम्मेदारी सौंपी थी।

21. इस प्रकार अब तक के अनुसंधान, बयानात गवाहान, उपलब्ध दस्तावेजात से यह प्रमाणित होता है कि मुस्लिम आतंकवादी संगठनों द्वारा भारतवर्ष में जगह–जगह किये गये बम विस्फोटों का बदला लेने तथा उनका जबाब देने के लिये कुछ हिन्दू कट्टरपंथियों ने असीमानन्द, (गुजरात) एवं सुनील जोशी (इंदौर) के नेतृत्व में एक आतंकवादी गिरोह का गठन किया जिसमें संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा, लोकेश शर्मा, भावेश, सुरेश, मफत उर्फ मेहुल, रमेश उर्फ मोहन, रमेश वेंकटराव महालकर उर्फ अमित,

देवेन्द्र गुप्ता, भरत मोहन रितेश्वर, चन्द्रशेखर लेवे व अन्य इस आतंकवादी संगठन में सक्रिय सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए।

22. इस प्रकार अभियुक्तगण मफत उर्फ मेहूल एवं भावेश अरविन्द भाई पटेल के विरूद्ध धारा 120-बी r/w 302, 307,295-ए, भा0द0स0, धारा 3,4,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व धारा 13,16,18,20,23 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1967/2008 में आरोप पत्र हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि कानूनी समाअत फरमावें। इन दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 45 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधीनियम 1967 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर आरोप पत्र 92-बी 18.07.2011 के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। बरामदा वजह सबूत हमराह आरोप पत्र पेश है। अभियुक्तगण मफत उर्फ मेहुल एवं भावेश का अपराधिक विवरण संलग्न है। अतः उपरोक्त मुलजिमान के विरूद्ध तितम्बा पत्र 92,92-ए, 92-बी एवं 92-सी अदालत कर बाद ट्रायल कानूनी सलूक फरमावें।

दिनांक 29.10.2013

भवदीय

विशाल गर्ग

(विशाल गर्ग) 29/10/13
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं
अनुसंधान अधिकारी,
एन.आई.ए., नई दिल्ली

संलग्नः—उपरोक्त

OFFICE COPY

अग्रप्रेषित द्वारा:—

पुलिस अधिक्षक
एन.आई.ए., नई दिल्ली